राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
76वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2021 के कार्यवृत

कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 76वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2021 को मुख्य सचिव, उतराखण्ड षासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सचिव (वित्त एवं स्वास्थ्य), सचिव (वित्त एवं निर्वाचन), सचिव (सहकारिता, डेयरी), सचिव (उद्योग), सचिव (पर्यटन), उतराखण्ड षासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य में कार्यरत प्रमुख बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है :

1. Business Correspondent and Capacity Building :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि बैंकों के 1051 बी.सी. द्वारा सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण किया जाना अवषष है। सचिव (वित्त एवं स्वास्थ्य), उत्तराखण्ड षासन द्वारा उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक से बी.सी. सर्टिफिकेषन कोर्स की प्रगति के बारे में जानना चाहा, जिस पर महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि अतिथि तक 122 बी.सी. द्वारा सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण कर लिया गया है तथा 287 बी.सी. द्वारा बी.सी. सर्टिफिकेषन कोर्स किया जाना अवषष ह, जिसे 30 जून तक पूर्ण करा लिया जायेगा। सचिव (वित्त एवं स्वास्थ्य) द्वारा उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक एवं अन्य बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे 30 जून तक बी.सी. सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण कराना सुनिष्चित करें (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बी.सी. सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण कराने की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गयी है)।

क्षेंत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे In-Active बी.सी. को तुरन्त Active करें तथा जिन क्षेत्रों में बैंकों द्वारा बी.सी. नियुक्त किये गये हैं, वहां पर समस्त क्षेत्रवासियों को बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए संबन्धित बैंक की जबाबदेयी है। अतः समस्त बैंक सुनिष्चित करें कि क्षेत्र में नियुक्त बी.सी. द्वारा जनसाधारण को बैंकिंग सुविधायें प्राप्त हो रही हैं।

(कार्यवाही : उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक एवं अन्य बैंक)

2. Providing Basic Bouquet of Financial Services –

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 01 जून से 31 मई तक प्रभावी रहती है। समस्त बैंक नियंत्रकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बैंक की षाखाओं को निर्देषित करें कि सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आच्छादित खाताधारकों से बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण हेतु Auto Debit Mandate प्राप्त कर तथा बीमा पॉलिसी की नवीनीकरण की अवधि में आच्छादित खाताधारकों से उनके खाते में न्यूनतम धनराषी जमा रखने हेतु षिक्षित करें, ताकि बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण समय पर सम्भव हो सके।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

3. Aspirational District Programme for Haridwar & Udham Singh Nagar Districts
Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) :

दिनांक 19 मार्च, 2021 को Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) within the Aspirational Districts Programme (ADP) के तहत राज्य में SLIC की प्रथम बैठक

Microsoft Team VC के माध्यम से आयोजित की गयी। इसी अनुक्रम में अगणी जिला प्रबन्धक जिला हरिद्वार एवं जिला अधम सिंह नगर ने वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रषित लक्ष्यों को ब्लाकवार बैंकों को आवंटित कर दिया गया है।

जनपद हरिद्वार में Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दर्ज धीमी प्रगति विषयक चर्चा के दौरान सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा षासन से आग्रह किया गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत खाताधारकों को सुरक्षा बीमा से आच्छादित करने हेतु यदि षासन बीमा प्रीमियम राषी रु. 12/– का योगदान प्रदान करें, तो अधिकांष खाताधारकों को बीमा योजना अंतर्गत आच्छादित किया जा सकता है।

सचिव (वित्त एवं स्वास्थ्य), उत्तराखण्ड षासन द्वारा एस.एल.बी.सी. को इस विषयक एक प्रस्ताव प्रषित करने हेतु निर्देषित किया गया।

सचिव, वित्त उत्तराखण्ड षासन द्वारा एस.एल.बी.सी. को निर्देषित किया गया कि वे इस विषयक हरिद्वार जिले में कार्यरत बैंकों की एक बैठक आयोजित करें।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी.)

4. Access to Livelihood and Skill Development –

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय प्रणाली में षामिल नए सदस्य, यदि वे पात्र हैं और किसी आजीविका/कौषल विकास कार्यक्रम को अपनाना चाह रहे हैं, तो उन्हे वर्तमान में चल रहे सरकारी आजीविका कार्यक्रमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने हेतु एवं उन्हे अपने कौषल को बढ़ाने और सार्थक आर्थिक गतिविधियों में षामिल होने एवं आय सृजन को सुधारने हेतु कौषल विकास विभाग, उत्तराखण्ड षासन से आजीविका/कौषल विकास कार्यक्रम सम्बन्धी प्रासंगिक जानकारी हेतु एक पुस्तिका उपलब्ध कराना प्रतिक्षित है।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा कौषल विकास विभाग से आग्रह किया गया कि वे सम्बन्धित पुस्तिका की 100 प्रति प्रिंट कर एस.एल.बी.सी. को प्रेषित किया जाय। तदउपरांत समस्त बैंक अपनी आवष्यकतानुसार बुक प्रिंट कर समस्त बैंक षाखाओं को आवंटित करेंग।

(कार्यवाही : कौशल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

5. Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its Management :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि कोटक महेन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा Standardized System (Block wise mapping) संबन्धित कार्य पूर्ण किया जाना अवषेष है तथा इण्डियन बैंक, नैनीताल बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक एवं स्टैन्डर्ड चार्टड बैंक का Standardized System (Block wise mapping) तैयार हो गया है, परन्तु दिसम्बर, 2020 त्रैमास में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारुप पर उनके डाटा सी.बी.एस. से प्रत्यक्ष रुप से अभी तक SLBC India Portal पर अपलोड नही हुआ है।

सचिव (वित्त एवं स्वास्थ्य), उत्तराखण्ड षासन द्वारा राज्य सहकारी बैंक से उक्त कार्य पूर्ण किये जाने का समय जानना चाहा, जिस पर महाप्रबन्धक, राज्य सहकारी बैंक द्वारा बताया गया कि आगामी दो माह में उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

सचिव (वित्त एवं स्वास्थ्य), उत्तराखण्ड षासन द्वारा कोटक महेन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक को निर्देषित किया गया कि वे उक्त कार्य को अतिषीघ्र पूर्ण करें।

(कार्यवाही : कोटक महेन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक)

6. <u>वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि</u> :

वार्षिक ऋण योजना पर चर्चा के दौरान मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा कृषि क्षेत्र में फार्म सेक्टर अंतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त की गयी।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा इस विषयक सदन को अवगत कराया गया कि विगत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में रु. 2800.00 करोड़ का लक्ष्य बढा कर दिया गया था, जिस कारण अपेक्षित उपलब्धि दृष्टिगोचर नही हो रही है तथा वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में कोरोना महामारी भी इसका प्रमुख कारण रहा है।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा सचिव, कृषि की बैठक में अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देषित किया गया कि आगामी वित्तीय वष 2021–22 में वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अप्रैल माह में नाबार्ड एवं सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक आयोजित कर कार्यनीति बनायी जाय।

उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा GECL फन्डिंग, MSY, PMEGP एवं मुद्रा ऋण योजना अंतर्गत वित्तपोषण किये जाने से बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई. सेक्टर में अच्छी प्रगति दर्ज की गयी है।

(कार्यवाही : कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

7. <u>ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio)</u> :

ऋण जमा अनुपात पर चर्चा के दौरान मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा जिला उधम सिंह नगर, हरिद्वार एवं चमोली के ऋण जमा अनुपात पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा पौड़ी, अल्मोड़ा एवं टिहरी जिलों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य का ऋण जमा अनुपात Outside Finance एवं RIDF को जोड़कर 54 प्रतिषत है।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि Agriculture Infrastructure Fund का पोर्टल कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार कर लिया गया है तथा बैंकों के नोडल अधिकारी की आई.डी. एवं पासवर्ड बना दिये गये हैं।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा निर्देषित किया गया कि कृषि क्षेत्र में Agriculture Infrastructure Fund, One District One Product में वित्तपोषण हेतु नाबार्ड द्वारा कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यान विभाग से समन्वय कर कार्यनीति बनाकर, जिलों का ऋण जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु आवष्यक कार्यवाही की जाय तथा बैंकों द्वारा उक्त गतिविधियों में वित्तपोषण किया जाय।

अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेषन ऑफ उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वे जिला पौड़ी में छोटे–छोटे उद्योग स्थापित करने हेतु Role Model बनायेंगे, जिसके लिए उन्हे बैंक एवं षासन का सहयोग अपेक्षित है। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा इन्डस्ट्रीज एसोसियेषन ऑफ उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये सुझाव की सराहना की गयी तथा कहा गया कि वे इस दिषा में कार्य करें।

(कार्यवाही : नाबार्ड, कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड शासन / इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड एवं समस्त बैंक)

8. <u>प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा इस विषयक सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा पी.एम. स्वनिधि के लक्ष्य बढाकर 26000 कर दिये गये है। अतः इस विषयक सम्बन्धित विभाग से आग्रह है कि वे वैन्डर से प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को पोर्टल में दर्ज कर उसी बैंक षाखा को प्रषित करें जहां पर

आवेदक का जमा खाता हो। साथ ही अवगत कराया गया कि पी.एम. स्वनिधि पोर्टल में निरस्त ऋण आवेदन पत्रों का कॉलम सिडबी द्वारा जोड़ दिया गया है।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा योजना अंतर्गत दर्ज कम प्रगति पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सम्बन्धित विभाग को निर्देषित किया गया कि वे कैम्प मोड में पात्र आवेदकों के ऋण आवेदन पत्र प्राप्त करें एवं पूर्ण जांच के उपरांत ही बैंक षाखाओं को प्रेषित करें, जिससे कि कम से कम ऋण आवेदन पत्र निरस्त हों तथा माह अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया जाय।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जिला उधम सिंह नगर में नगर पालिका द्वारा वैन्डर के रजिस्ट्रेषन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण नही किया जा रहा है, जिस कारण लाभार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित नही हो पा रहा है, अतः षासन इस विषय में षासनादेष जारी करें।

सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रजिस्ट्रेषन सर्टिफिकेट के नवीनीकरण हेतु Town Vending Committee / ULB को निर्देषित कर दिया गया है, कि वे वैन्डर्स को रजिस्ट्रेषन सर्टिफिकेट / LOR तुरन्त उपलब्ध करायें।

सचिव (वित्त एवं स्वास्थ्य), उत्तराखण्ड षासन द्वारा सम्बन्धित विभाग को निर्देषित किया गया कि वे सुनिष्चित करें कि Town Vending Committee / ULB उधम सिंह नगर द्वारा उक्त कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(कार्यवाही : शहरी विकास निदेशालय (एन.यू.एल.एम.), उत्तराखण्ड शासन)

9. <u>मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा अतिथि तक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गयी है, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत दर्ज प्रगति की सराहना की गयी।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन से जानना चाहा कि यदि बैंकों द्वारा उन्हे आवंटित लक्ष्यों से अधिक ऋण आवंटित किये जाते हैं तो क्या बैंकों को उक्त खातों में सब्सीडी मिलेगी, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सभी खाताधारकों को क्लेम की गयी मार्जिन मनी सब्सीडी के.वी.आई.सी. द्वारा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सचिव (उद्योग), उत्तराखण्ड षासन द्वारा बैंकों द्वारा किये गये कार्य की सराहना की गयी एवं बैंकों का धन्यवाद किया गया।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि आरसेटी द्वारा आवेदकों को ऑफलाईन प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उद्योग विभाग से आग्रह है कि वे उक्त योजना के लाभार्थियों को ऑफलाईन प्रषिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करें, जिससे प्रषिक्षण का कार्य समय पर पूर्ण हो सके।

सचिव (वित्त एवं स्वास्थ्य), उत्तराखण्ड षासन द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देषित किया गया कि वे विभिन्न योजना अंतर्गत आगामी वित्तीय वष 2021–22 हेतु अप्रैल माह में ही लक्ष्य आवंटित कर दें।

(कार्यवाही : उद्योग विभाग)

10. <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM Individual)</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे योजना अंतर्गत निष्पादित ऋण आवेदन पत्रों को पोर्टल में दर्ज करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

11. <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजना अंतर्गत 98 प्रतिषत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गयी है तथा वित्तीय वष की समाप्ति तक लक्ष्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। यू.एस.आर.एल.एम. विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि कनरा बैंक में 80, पंजाब नेषनल बैंक में 62 एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक में 90 ऋण आवेदन पत्र लम्बित है। सचिव (वित्त एवं स्वास्थ्य), उत्तराखण्ड षासन द्वारा उपरोक्त तीनों बैंकों एवं अन्य बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का अतिषीघ्र निस्तारण करें।

(कार्यवाही : कनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक एवं अन्य बैंक)

12. <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) अंतर्गत बैंकों द्वारा आतिथि तक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गयी है, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत दर्ज प्रगति की सराहना की गयी।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि आरसेटी द्वारा आवेदकों को ऑफलाईन प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा के.वी.आई.सी. से आग्रह है कि वे उक्त योजना के लाभार्थियों को 30 जून, 2021 तक अनिवार्य रुप से ऑफलाईन प्रषिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करें।

(कार्यवाही : के.वी.आई.सी.)

13. <u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> :

योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति पर चर्चा के दौरान सचिव, पर्यटन द्वारा बैंकों से आग्रह किया गया कि वे बैंक षाखाओ में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का अतिषीघ्र निस्तारण करें।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंकों से आग्रह किया गया कि वे वाहन मद में प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का समय अवधि में निस्तारण करना सुनिष्चित करें।

उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विभाग से आग्रह किया गया कि वे वाहन मद अंतर्गत बैंक षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की बैंकवार एवं षाखावार सूची एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें, ताकि सम्बन्धित षाखाओं से अनुवर्ती कार्यवाही कर ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा सके।

(कार्यवाही : पर्यटन विभाग/समस्त बैंक)

14. <u>दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजना अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का प्रमुख कारण भू उपयोग परिवर्तन (सेक्षन 143) एवं प्राधिकरण द्वारा मानचित्र की स्वीकृति में बिलम्ब है। अतः षासन से अनुरोध है कि भू उपयोग परिवर्तन (सेक्षन 143) की कार्यवाही हेतु समय सीमा का निर्धारण करें ताकि बैंक षाखाओं में अधिक समय तक ऋण आवेदन पत्र लम्बित न रहे।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना हेतु विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर चर्चा के दौरान सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल विषयक आवष्यक जानकारी/संषोधन/सुधार हेतु एक बैठक आयोजित की जाय, जिसमें राज्य में कार्यरत प्रमुख बैंकों को भी आमंत्रित किया जाय ताकि पोर्टल को user friendly बनाया जा सके।

सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड 'षासन द्वारा अवगत कराया गया कि जिला स्तर पर जिला विकास प्राधिकरण (DDA) भंग होने पर जिला पंचायत द्वारा भवन के मानचित्र स्वीकृत किये जायेंगे।

(कार्यवाही : पर्यटन विभाग)

15. <u>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</u> :

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा योजना अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की अधिक संख्या के बारे में जानना चाहा, जिस पर सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि इसका मुख्य कारण आवेदक की सिबिल खराब होना अथवा सिबिल स्कोर कम होना है एवं योजना अंतर्गत सब्सिडी राषि कम होना है।

16. <u>अल्मोड़ा जिले को 100 प्रतिशत डिजीटाइजेशन किया जाना :</u>

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार, जिला अल्मोड़ा में षिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई एवं उद्यान विभाग द्वारा Digital Mode में कार्य नही किया जा रहा है, जिस कारण डिजीटाइजेषन प्रक्रिया धीमी है।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्टिंग प्रारुप में निम्नवत संषोधन किये गये है :

- बैंकों द्वारा Operative बचत खातों में AEPS (Aadhar Enabled Payment System) द्वारा कवर किये गये खातों को भी digitally enabled माना गया है।
- बैंक बोर्ड द्वारा स्वीकृत पॉलिसी के अनुसार Operative बचत खाता धारक, जो कि डिजीटल कवरेज हेतु योग्य नही हैं, के खातों को डिजीटल बैंकिंग के लिए अयोग्य माना जाय।

उपरोक्त परिवर्तन के कारण माह फरवरी, 2021 में बचत खातों में डिजीटाइजेषन 96 प्रतिषत तथा चालू खातों में 85 प्रतिषत रहा है।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा निर्देषित किया गया कि इस विषयक माह अप्रैल में अल्मोड़ा जिले को 100 प्रतिषत डिजीटाइजेषन करने के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जाय।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड)

17. <u>एन.पी.ए.</u> :

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजना अंतर्गत बढ़ते एन.पी.ए. पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी तथा बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे तहसील से आर.सी. का मिलान करें एवं वसूली हेतु अमीनो का सहयोग प्राप्त करें।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्देषित किया गया कि वे योजना अंतर्गत बढते हुये एन.पी.ए. को कम करने में बैंकों का सहयोग करें।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि F.Y. 2020–21 में सर्वोच्च न्यायलय के आदेषानुसार 31 अगस्त, 2020 के पश्चात किसी भी खाते को एन.पी.ए. घोषित नही किया गया है तथा इस संबंध में सर्वोच्च न्यायलय ने दिनांक 23 मार्च, 2021 को निम्नाकित आदेष जारी किये हैं :

- 31 अगस्त, 2020 के पश्चात किसी भी खाते को बैंक द्वारा एन.पी.ए. घोषित नही किया जायेगा, से सम्बन्धित आदेष पर से अन्तरिम रोक हटा दी गयी है।
- Loan Moratorium की अवधि 31 अगस्त, 2020 के पश्चात नही बढ़ायी जायेगी।
- Loan Moratorium की अवधि में ब्याज पर ब्याज की छूट सभी खातों पर लागू होगी एवं इस पर ऋण राषि की कोई सीमा नही होगी ।

उपरोक्त आदेष के उपरांत बैंक खातों को एन.पी.ए. घोषित करेंगे, जिससे एन.पी.ए. प्रतिषत बढ़ने की सम्भावना है।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

18. <u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> :

किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने विषयक चर्चा के दौरान मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा निर्देषित किया गया कि आगामी माह में एक बैठक आयोजित की जाय, जिसमें पी.एम. स्वनिधि, कृषि अवस्थापना निधि एवं सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के एन.पी.ए. पर चर्चा की जायेगी।

(कार्यवाही : कृषि विभाग/उद्योग विभाग)

19. <u>किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता (KCC Saturation)</u> :

उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता (KCC Saturation) के तहत नाबार्ड द्वारा निर्धारित बेंचमार्क संबंधी मापदण्ड पर कार्य करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

20. <u>एम.एस.एम.ई.</u> :

<u>उद्यम रजिस्ट्रेशन</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

(i) दिनांक 30 जून, 2020 तक रजिस्टर्ड इकाईयों को उद्यम रजिस्ट्रेषन पोर्टल में 31 मार्च, 2021 तक नया रजिस्ट्रेषन फाईल करना होगा।

(ii) एम.एस.एम.ई. इकाई, स्वयं की घोषणा के आधार पर 31 मार्च, 2021 तक उद्यमी रजिस्ट्रेषन सर्टिफिकेट के लिए पोर्टल में फाईल कर सकते हैं। स्वयं के रजिस्ट्रेषन हेतु आधार कार्ड आवष्यक है।

(iii) दिनांक 01.04.2021 से उद्यम रजिस्ट्रेषन के लिए Pan Card एवं GSTIN mandatory कर दिया गया है।

सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड षासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में 67726 एम.एस.एम.ई. इकाईयां रजिस्टर्ड हैं, जिनके द्वारा उद्यमी रजिस्ट्रेषन पोर्टल में रजिस्ट्रेषन फाईल किया जा रहा है। उद्यमी रजिस्ट्रेषन पोर्टल में रजिस्ट्रेषन हेतु विभाग द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

निदेशक, उद्योग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि अधिकांष बैंक षाखायें ऋण प्रक्रिया के दौरान आवेदक से रजिस्ट्रेषन सर्टिफिकेट की मांग करती हैं। अतः इस विषय में समस्त बैंकों को अवगत कराना है कि किसी भी इकाई का रजिस्ट्रेषन, इकाई के स्थापित होने के उपरांत ही किया जाता है।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा उद्योग विभाग को निर्देषित किया गया कि वे इस विषय में कैम्प मोड में राज्य में समस्त एम.एस.एम.ई. इकाईयों का उद्यम रजिस्ट्रेषन कैम्प मोड में करायें, ताकि एम.एस.एम.ई. की इकाईयों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित न रह जाय।

(कार्यवाही : उद्योग विभाग)

21. ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड षासन द्वारा योजना अंतर्गत कम आवेदकों को ऋण स्वीकृति का कारण जानना चाहा, जिस पर सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि इसका मुख्य कारण इकाई को फण्ड की आवष्यकता न होना एवं व्यवसायिक गतिविधि का धीमा होना है।

22. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा :

सिक्कों का वितरण :

उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समस्त बैंकों से आग्रह किया गया कि वे अपने नियंत्रणाधीन करेंसी चेस्ट षाखाओं को निर्देषित करें कि सिक्कों के वितरण हेतु व्यापारियों, उद्योगपतियों, मण्डियों एवं जनसाधारण को सूचित कर, Coin Melas का आयोजन करें, जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में सिक्कों का वितरण किया जाय।

उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस विषयक अवगत कराया गया कि व्यापारियों एवं जनसाधारण द्वारा सिक्कों को लेने में आनाकानी की जाती है और यदि उन्हे सिक्कों में भुगतान किया जाता है, तो उनके द्वारा आगामी तिथि को उन्हे भुगतान किये गये सिक्के बैंकों में वापस जमा कर दिये जाते है। अन्य बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा भी इस वक्तब्य को दोहराया गया। उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि व्यापारियों के एक संगठन द्वारा उन्हे सिक्कों में भुगतान न करने विषयक अवगत कराया गया है।

उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से कहा गया कि वे इस विषयक feed back भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)